उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनु0-2

संख्या-685/11-2-15-9(09)/2015

लखनऊः दिनांकः 14 जुलाई, 2015

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 28 की उपधारा (1) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल तात्कालिक प्रभाव से लेखा बहियों या अभिलेखों का परीक्षण करके वार्षिक कर निर्धारण हेतु व्यापारियों को चयनित करने के लिये उक्त प्रतिबन्धात्मक खण्ड में प्राविधानित किसी कर निर्धारण वर्ष में किसी व्यापारी के सकल आवर्त की सीमा पच्चीस लाख रूपये को बढ़ाकर पचास लाख रूपये अवधारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

बीरेश कुमार

प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-685(1)/11-2-15-तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।

2- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/2, वाणिज्य कर, उ0प्र0 द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर।

3- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर, उ0प्र0 द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर।

4- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि साधारण गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराकर इसकी 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

गिरीश चन्द्र मिश्र

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/